"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 65] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 मार्च 2011—फाल्गुन 19, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2011

अधिसूचना

क्र. 1902/615/21-ब/छ.ग./2011.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 सहपठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1022/1989, आल इंडिया जजेस एसोसियेशन एवं अन्य विरुद्ध यूनियन आफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश दि. 20-04-2010 के अनुपालन में, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, "छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006" में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में, अंक "50%" के स्थान पर, अंक "65%" प्रतिस्थापित किया जाय.

2. नियम 5 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में, अंक "25%" के स्थान पर, अंक "10%" प्रतिस्थापित किया जाय.

Raipur, the 10th March 2011

NOTIFICATION

No. 1902/615/21-B/C.G./2011.—In exercise of the powers conferred by article 233 read with the proviso to article 309 of the Constitution of India, and in compliance of orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India, in W.P. (Civil) No. 1022/1989 All India Judges Association and others Vs Union of India and others, dated 20-04-2010, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In clause (a) of sub-rule (1) of Rule 5, for the figures "50%", the figures "65%" shall be substituted.

2. In cluase (b) of sub-rule (1) of Rule 5, for the figures "25%", the figures "10%" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.